प्रारूप

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर.

सेमी परमानेन्ट ब्लॉक नंबर–6, भारतीय स्टेट बैंक, नयागांव शाखा के पीछे, रामपुर, जबलपुर–482008
(म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के विद्युत उपभोक्ताओं हेतु)
दूरभाष क्रमांक (0761) 2702483, 2661719, ईमेल **forumjabalpur@yahoo.com**

क्रमांक. फोरम/जबलपुर/14/ जबलपुर, दिनांक

प्रति,

अधीक्षण यंत्री (संचा.संधा.)वृत्त,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
———

विषय : माह —— 2014 में विद्युत उपभोक्ताओं की सुनवाई एवं नई शिकायतें प्राप्त करने हेतु फोरम के दौरा कार्यक्रम बावत्।

:::

आपके कार्यक्षेत्रान्तर्गत माह —— 2014 के लिए विद्युत उपभोक्ताओं से नई लिखित षिकायतें प्राप्त करने तथा फोरम के आपके क्षेत्रान्तर्गत विगत प्रवास के दौरान प्राप्त षिकायतों की सुनवाई का कार्यक्रम निम्नानुसार निष्चित किया गया है :–

क्रमांक	दिनांक	षिकायतें प्राप्त करने/सुनवाई का निर्धारित		जिला/संभाग/वितरण केन्द्र, जिनके उपभोक्ता लिखित षिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा जिनकी सुनवाई निर्धारित है.
		स्थान	समय	
01				
02				

कृपया उक्त कार्यक्रम के संबंध में आप अपने कार्यक्षेत्रान्तर्गतः–

(i) प्रसारित होने वाले लोकप्रिय एवं प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन तथा प्रचार–प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(ii) **शिकायतें प्राप्त करने/सुनवाई के लिए निर्धारित स्थान पर** निम्नलिखित आशय का बैनर निर्धारित दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व उपभोक्ताओं के सूचनार्थ लगवावें।

<u>विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम</u>

(म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए)

शिविर का स्थानः ....
दिनांकः : ....
समयः : .... बजे से .... बजे तक

(iii) सिटी/लोकल चैनल पर टी.वी. के माध्यम से उक्त कार्यक्रम के संबंध में संक्षिप्त बॉटम रॉल रन करवाने की व्यवस्था करें।

(iv) फोरम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से लिखित शिकायतें प्राप्त करने एवं फोरम के विगत प्रवास के समय प्राप्त शिकायतों की सुनवाई से संबंधित सूचना वृत्त कार्यालय, संभागीय कार्यालय, उपसंभागीय कार्यालय, संबंधित सभी वितरण केन्द्र, संबंधित सभी फ्यूज ऑफ कॉल सेंटर एवं संबंधित सभी बिल भुगतान केन्द्रों पर नियत दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व से चस्पा करवाने की व्यवस्था करें।

ध्यान रहे कि फोरम द्वारा आयोजित शिविर के संबंध में क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए उपलब्ध सभी माध्यमों से जानकारी प्रसारित एवं प्रचारित करवाना कंपनी के क्षेत्रीय प्रमुख अर्थात् अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री का व्यक्तिगत दायित्व है जिसके निर्वहन में कोई कोताही बरतना पाए जाने पर कंपनी द्वारा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

कृपया उक्त अनुसार कार्यवाही किए जाने की पुष्टि लिखित में फोरम एवं नोडल अधिकारी (विद्युत उपभोक्ता फोरम) कार्यालय– मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्र.), म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,, ब्लॉक नंबर–7, चतुर्थ तल, शक्तिभवन, जबलपुर को अनिवार्य रूप से करें तथा समाचार पत्र की कतरने संलग्न करें।

विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ के प्रचार–प्रसार बावत जारी किये गये निर्देशों की जानकारी आम उपभोक्ताओं को दिये जाने हेतु अपने कार्यालय के सूचना पटल एवं अन्य प्रचार माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें एवं इसकी पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में दस्तावेज आदि निर्धारित कार्यक्रम में फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

फोरम के प्रवास के समय समाचार पत्र की कतरने फोरम के अवलोकनार्थ भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा निर्देशों की अवहेलना के लिए कंपनी मुख्यालय को संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए फोरम द्वारा लेख किया जावेगा।

<u>नोटः– उक्त निर्धारित सुनवाई कार्यक्रम के 2 दिवस पूर्व से इसका प्रचार–प्रसार लोकप्रिय दैनिक समाचार–पत्र एवं सिटी/लोकल चैनल पर टी.व्ही. के माध्यम से संक्षिप्त बॉटम रॉल रन करवाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।</u>

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर.

प्रतिलिपि :

1. मुख्य अभियंता(—— क्षेत्र) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ——।
2. कार्यपालन यंत्री (संचा.संधा./शहर) संभाग, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ——।

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर.